

MOST URGENT
VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

F.No.(114)/PWD-II/VSQ/Un-Starred(41)/2021/12139-40

Date: 31/12/21

To

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi- 110054.


Sub: - Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 41 raised by Sh. Shiv Charan Goyal, Hon'ble MLA during winter session 2021 due for 03/01/2022.

Sir,

Kindly refer to your letter No. F. 11(B-1) VI/2020-25/VSS/Question Branch/0216 dated 24/12/2021 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above



Dy. Secretary (PWD/VS)/L.O.
011-23392589

F.No.(114)/PWD-II/VSQ/Un-Starred(41)/2021/12139-40

Date: 31/12/21

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD)


Dy. Secretary (PWD/VS)/L.O.
011-23392589

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- 5वें तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या: 41

दिनांक: 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री शिव चरण गोयल

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
क	नजफगढ़ रोड जो जखीरा से राजा गार्डन चौक तक जाता है उसकी चौड़ाई कितनी है;	नजफगढ़ रोड जखीरा गोलचक्कर से राजा गार्डन चौक तक उक्त रोड का अधिकार क्षेत्र एम.सी.डी द्वारा हस्तानांतरित दौरान 200 फुट दर्शाया गया है। जिसका रखरखाव लोनिवि द्वारा किया जाता है।
ख	क्या यह सत्य है कि इस नजफगढ़ रोड पर अतिक्रमण भी हो रहा है;	उपरोक्त रोड पर सड़क के दोनो तरफ अनाधिकृत अतिक्रमण किया हुआ है। जिसकी पुष्टी रोड का सीमांकण (demarcation) के पश्चात की जा सकती है।
ग	यदि हां, तो उसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इस अतिक्रमण को हटाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं;	उपरोक्त रोड से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित चेयरमेन रोड सेफ्टी कमिटी, सब डिविजन मजिस्ट्रेट (SDM) उपायुक्त (NDMC/SDMC) संबंधित कार्यपालक अभियन्ता (NDMC/SDMC), और संबंधित दिल्ली पुलिस को कई बार लिखा जा चुका है। सभी पब्लिक रोड से अनाधिकृत अतिक्रमण संबंधित (NDMC/SDMC), के द्वारा हटाया जाता है।
घ	मोती नगर लाल बत्ती चौक पर कार शोरूम मालिक द्वारा सरकारी जगह पर फेंस बनाकर अवैध रूप से गाड़ियों की पार्किंग रोकने हेतु क्या विभाग कोई कार्रवाही करेगा; और	मोती नगर चोक पर कार शोरूम द्वारा की जा रही अनाधिकृत पार्किंग को हटाने हेतु संबंधित दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एवं उपायुक्त (NDMC/SDMC) को कई बार लिखा जा चुका है।
ड	यदि हाँ, तो कब तक?	उपरोक्त पार्किंग को जब भी संबंधित विभाग हटाने हेतु कार्यवाही करेगा लोनिवि द्वारा रसद मशीनरी (logistics machinery) उपलब्ध करा दी जाएगी।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

मो. लियाकत मोंडल
21/1/22
(मो० लियाकत मोंडल)
MD. LIAKAT MONDAL
सहायक निदेशक (लोनिवि), PWD
ASST. (LO. NI. VI.), PWD
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, IP Estate,
New Delhi-110002